न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **243/2014** दायर दिनाँक **28.11.2014**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. भंवरी बानो पुत्री करिमखाँ, पत्नी उम्मेदखाँ, निवासी–खाखोली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. अमीना बानो पत्नी करिमखाँ पत्नी आलम अली खाँ, जाति–कायमखानी, निवासी–खाखोली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. शौकतखाँ पुत्र समीमखाँ, 2. उस्मानखाँ पुत्र सलीमखाँ, 3. मुन्शीखाँ पुत्र भँवरूखाँ, 4. जन्नत बानो पत्नी भँवरूखाँ, समस्त,जाति–कायमखानी, निवासी–पायली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 5. सरपंच ग्रामपंचायत–सुदरासन, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 6. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित :–

1. श्री हकीम खान, वकील, वादीगण।
2. श्री डालूराम बगड़िया, वकील, प्रतिवादी संख्या 01, 02 व 03 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **14.11.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, शरहद पायली में खेत खसरा नम्बर 65 रकबा 33 बीघा, खसरा नम्बर 78 रकबा 05 बीघा, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 तक की संयुक्त खातेदारी है। उक्त भूमि की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 के दादा स्वर्गीय बिन्दलखाँ की खातेदारी की है जिनमें स्वर्गीय बिन्दल खाँ के बड़े पुत्र करिम खाँ व छोटे पुत्र सलेमखाँ थे।

वादीगण के दादा मरहूम बिन्दलखाँ के ईन्तकाल के बाद वादीगण के पिता करीमखाँ का नाम खातेदारी में दर्ज होना था किन्तु करिम खाँ की जल्दी मृत्यु होने के कारण व बिन्दल खाँ के फौत होने के बाद फौतगी नामान्तरकरण में करिम खाँ का नाम दर्ज होने से रह गया तथा इसी कारण वादीगण जो करिम खाँ की लड़कियां है, का नाम भी

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

खातेदारी में दर्ज नहीं हो सका जिससे वादीगण के जायज अधिकारों पर कुठाराघात हो गया है।

बिन्दलखाँ की फौतगी के बाद वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में सलेमखाँ का नाम दर्ज हो गया जबकि मरहूम बिन्दलखाँ के बड़े बेटे करिम खाँ जो वादीगण के पिता है का नाम खातेदारी में दर्ज होने से रह गया था जिससे वादीगण के जायज अधिकारों पर कुठाराघात हो गया है।

वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 की शामलाती है। उक्त शामलाती भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि वादीगण के बन्ट में आयी हुई है शेष 1/2 भूमि प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 के बन्ट में आयी हुई है। प्रतिवादीगण ने खसरा नम्बर 78 रकबा 05 बीघा भूमि में से अपने हिस्से में से रकबा हिस्सा 2/100 हिस्सा ग्राम पंचायत सुदरासन को दान में दे दिया है।

वादीगण द्वारा नकल खतौनी लेने पर जानकारी हुई कि वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 तक के पिता व पति अकेले का नाम ही खातेदारी में दर्ज है। इसलिए वादीगण को यह दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व रिकॉर्ड दुरस्ती करना लाजमी आया है।

वादीगण का नाम वादग्रस्त खेतों की भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से वादीगण को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वादीगण का नाम उक्त खेतों की खातेदारी में नाम दर्ज किया जावे।

प्रार्थना वादीगण है कि–

शरहद पायली में खेत खसरा नम्बर 65 रकबा 33 बीघा व खसरा नम्बर 78 रकबा 05 बीघा खेतों की भूमियों में से हिस्सा 1/2 भूमि में वादीगण का नाम घोषित किया जावे व शेष हिस्सा 1/2 भाग भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 के घोषित की जावे। वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वाद के संलग्न वाद के समर्थन में वादीगण का शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम पायली सम्वत् 2068–2071 खेवट संख्या 130/192 की प्रतिलिपि, पेश है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03, 05 व 06 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का ओदश पारित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 सी.पी.सी. के, स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 02 के खिलाफ की गयी एकपक्षीय कार्यवाही अपास्त की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर वाद में जवाब का अवसर बन्द किया गया है। प्रकरण में साक्ष्य अवसर बन्द किया गया।

वकूलाय बहस उभयपक्ष सुनी गयी। वकील वादीगण की बहस मुख्यतः वाद पर आधारित रही। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। बहस पर मनन् किया।

वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 65 रकबा 33 बीघा व खसरा नम्बर 78 रकबा 05 बीघा पैतृक भूमि है। उक्त भूमि स्वर्गीय बिन्दलखाँ की खातेदारी में थी। स्वर्गीय करिम खाँ व स्वर्गीय सलीम खाँ स्वर्गीय बिन्दलखाँ के वारिशान् हैं। स्वर्गीय करिम खाँ के वारिशान् वादीगण हैं तथा सलेमखाँ के वारिशान् प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 हैं। इस प्रकार उक्त वादग्रस्त भूमि में से 1/2 हिस्सा में वादीगण का तथा 1/2 हिस्सा का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 का जायज हक बनता है। वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। वादग्रस्त भूमि में से रकबा 1/2 हिस्सा भूमि की खातेदारी वादीगण को तथा शेष रकबा 1/2 हिस्सा भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 को दिया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादीगण, डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर शरहद पायली पटवार हल्का सुदासन भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नूँवा तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान, में खसरा नम्बर 65 रकबा 33 बीघा भूमि तथा खसरा नम्बर 78 रकबा 05 बीघा भूमि में से रकबा 1/2 भाग भूमि का वादीगण को व रकबा 1/2 भाग भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 तक को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक 14.11.2017 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **243/2014** दायर दिनाँक **28.11.2014**

वादीगण		**प्रतिवादीगण**
1. भँवरी बानो पुत्री करिमखाँ, पत्नी उम्मेदखाँ, निवासी—खाखोली, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 2. अमीना बानो पत्नी करिमखाँ पत्नी आलम अली खाँ, जाति—कायमखानी, निवासी—खाखोली, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. शौकतखाँ पुत्र समीमखाँ, 2. उस्मानखाँ पुत्र सलीमखाँ, 3. मुन्शीखाँ पुत्र भँवरूखाँ, 4. जन्नत बानो पत्नी भँवरूखाँ, समस्त,जाति—कायमखानी, निवासी—पायली, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 5. सरपंच ग्रामपंचायत—सुदरासन, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 6. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा, अन्तर्गत धारा— 88, 53, 188 R.T.Act.

दिनाँक **14.11.2017**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री श्री हकीम खान, वकील, वादीगण व श्री डालूराम बगड़िया, वकील, प्रतिवादी संख्या 01, 02 व 03 ओर से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर शरहद पायली पटवार हल्का सुद्रासन भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नूँवा तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान, में खसरा नम्बर 65 रकबा 33 बीघा भूमि तथा खसरा नम्बर 78 रकबा 05 बीघा भूमि में से रकबा 1/2 भाग भूमि का वादीगण को व रकबा 1/2 भाग भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 तक को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—.............. बाबत.................
....—....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **14.11.2017** को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	—		महनताना वकील		
महनताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner